



दिल्ली के एलजी शाहदरा में लोगों की समस्या से अवगत होते हुए।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 65 पृष्ठ: 08

RNI : UTTHIN/2009/31653



actionindiaddn@gmail.com

उत्तराखण्ड संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड



## अपहरण मामले में धनंजय सिंह समेत दो को सात-सात साल की सजा, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

**टीम एक्शन इंडिया**  
**जौनपुर:** नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में एडीजे चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में

अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अदालत के आदेश से दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही यह भी तय हो गया कि अब धनंजय सिंह लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा को उसके कार्यक्षेत्र से जबरन अपने घर बुलाकर पिस्तौल दिखाकर उसे व उसकी कंपनी के लोगों को डराया व

धमकाया गया। उन पर यह दबाव डाला गया कि नमामि गंगे परियोजना में मात्र और मात्र अभियुक्तों का ही गिट्टी व बालू प्रयोग किया जाए। अन्यथा की स्थिति में वादी व उसकी कंपनी के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मगर, मामले को देखने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों के द्वारा समर्थ व सक्षम होने के बावजूद भी वादी को घटना के समय व उसके पश्चात किसी तरह की कोई भी शारीरिक हानि नहीं पहुंचाई गई। अभियुक्त धनंजय सिंह जनप्रतिनिधि भी है और दूसरा अभियुक्त संतोष विक्रम सिंह उसका

सहयोगी है। अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज अधिकांश मुकदमे दोषमुक्त, उन्मोचन, फाइल रिपोर्ट या सरकार द्वारा वापस लिए जाने के आधार पर समाप्त हो चुके हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी बुलाए जाने पर अभियुक्तों द्वारा तय होने के दौरान हाजिर होते रहे हैं।  
**हार्डकोर्ट में करेंगे अपील:** धनंजय सिंह: अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को अपहरण, रंगदारी मांगने, अपमानित करने, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत दोषसिद्ध किया गया है। मामले को देखने से निश्चित

तौर पर स्पष्ट है कि अभियुक्तों के द्वारा वादी मुकदमा को अपने साथ जबरन ऐसे ले जाया गया था कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ गया था। मगर, वादी को मामले में किसी तरह की कोई भी शारीरिक चोट नहीं आयी है। अभियुक्त धनंजय जनप्रतिनिधि है। विधि का यह नियम है कि अपराधी को अपराध के अनुपात के अनुसार दंडित किया जाए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अपहरण के मामले में धारा 364 के तहत 50 हजार व रंगदारी के मामले में धारा 386 के तहत 25 हजार का अर्थदंड लगा है।



आदर्श विचार

मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए।  
-भागवद



मन की बात

सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।  
-स्वामी विवेकानंद



तीसरी आंख

अमृतपाल के सहयोगी की बिगड़ी तबीयत

**टीम एक्शन इंडिया**  
**डिब्रूगढ़:** खालिस्तान समर्थक व अलगाववादी अमृतपाल सिंह के प्रमुख सहयोगी कुलवंत सिंह धालीवाल को मिर्मा के कारण हुई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मिर्मा से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उन्हें मंगलवार रात करीब 10 बजे डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एमएसीएच) में भर्ती कराया गया था।

विकास कार्य

## भाजपा ने संवैधानिक मर्यादाएं लांघी: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

**विवेकानंद वशिष्ठ**  
**हमीरपुर:** मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के बस अड्डे की आधारशिला रखने के उपरान्त पक्का भरो में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का कार्य लगभग 15 वर्षों से लम्बित था। इस अड्डे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्रार्थमिकता के आधार पर पूरा किया गया और 65 करोड़ रुपये से इसका निर्माण कार्य डेढ़ वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जिले के विद्यार्थियों के साथ विकासमूलक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन्होंने से कुछ लोग अचानक सरकार



के खिलाफ हो जाएंगे। इन लोगों ने सिर्फ सरकार या पार्टी से ही नहीं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ भी धोखा किया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता नहीं चाहते थे

कि बजट पारित हो और इसके लिए वे कई अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी है और उनकी सरकार पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्ट आर्थिक स्थिति के बावजूद

साधा निशाना

8 प्रदेश सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान कई जन हितैषी निर्णय लिए हैं: सीएम

प्रदेश सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान कई जन हितैषी निर्णय लिए हैं जिससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार आम जन की सरकार है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता अपना कर कार्य कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर

## इंडिया ब्लॉक के बीच सीट बंटवारा फाइनल: कांग्रेस

**टीम एक्शन इंडिया**  
**भोपाल/नई दिल्ली**

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार 5 मार्च को कहा कि कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के अन्य सभी दलों के साथ अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। ममता बनर्जी ने यहां गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच



जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हालांकि, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी रमेश ने इसकी जानकारी नहीं दी। उधर, नेशनल

## जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर लगा बैन



**टीम एक्शन इंडिया**  
**नई दिल्ली:** सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखण्ड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद, अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जेन में

## मर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे: राहुल गांधी

**टीम एक्शन इंडिया**  
**नई दिल्ली**

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ठोस योजना तैयार कर रही है। राहुल ने उत्तर प्रदेश में हुईं पेंशन लीक की हालिया घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, पेंशन लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले सात वर्षों में 70 से अधिक पेंशन लीक के मामलों ने दो करोड़



से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गैटजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो

**कारवाइ**

8 पेंशन लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है: राहुल गांधी

उन्होंने मुझे बताया कि पेंशन लीक की तीन मुख्य वजह हैं। बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

## 'मतांतरण मामले की सुनवाई में रोड़े अटका रहा कलीम'

**टीम एक्शन इंडिया**  
**नई दिल्ली:** उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामूहिक मतांतरण मामले की सुनवाई में मौलवी मौलाना कलीम सिद्दीकी रोड़े अटका रहा है। सिद्दीकी पर राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने देश भर में मतांतरण सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है।  
**'ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे सिद्दीकी':** जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद ने बताया

कि सिद्दीकी और मामले के अन्य आरोपित ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपों से इनकार करते हुए सिद्दीकी की ओर से पेश वकील ने कहा कि पिछले एक साल में मुकदमे के दौरान 11 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। एएजी ने पीठ से तीन आरोपितों की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया।  
**पीठ ने हलफनामा दायर करने की दी अनुमति:** पीठ ने राज्य सरकार को 19 मार्च तक मामले में हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। मामले की अगली सुनवाई दो अप्रैल को होगी।













